कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 8055/स्था.-पंचा.प्रको./2024 दिनांक 07.11.2024 जारी की जाकर विशेष भर्ती अभियान के तहत ग्राम पंचायत सचिव दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र **दिनांक 30.11.2024 तक** आमंत्रित किये गये थे। उक्त पद पूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति की **अंतिम तिथि दिनांक 23.12.2024 को सायं 06.00 बजे तक** बढ़ाई जाती है। आवेदन पत्र डाक से अथवा व्यक्तिश: जिला पंचायत रतलाम के कार्यालय में उक्त संशोधित तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

www.newsjobmp.com

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियां
1.	ग्राम पंचायत सचिव	तृतीय	5200-20200	01 पद (अस्थिबाधित)

मानदेय - 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में 10,000/- प्रतिमाह के मान से मानदेय एवं 2 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतनमान देय होगा।

www.newsjobmp.com

शैक्षणिक योग्यता - आवेदक को ग्राम पंचायत सचिव भर्ती शर्त नियम 2011 अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसार 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

मुख्य शर्तें :- 1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 2. **आयु सीमा-** अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और रिक्त पद के लिए जारी सूचना के प्रकाशन की तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को **45 वर्ष से अधिक** न हो। 3. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से 1 का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस बावत अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना होगा। 4. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 5. चयनित अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व चरित्र सत्यापन, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त किया जावेगा। ऐसे चयनित व्यक्ति जिनके संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। 6. आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। 7. आवेदन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, आयु हेतु 10वीं की अंकसूची एवं संलग्न समस्त प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित हो। 8. आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 9. प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए आमंत्रित किया जावेगा। साक्षात्कार उपरांत मेरिट आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाकर नियमानुसार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। 10. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से **दिनांक 23.12.2024 को सायं 6.00 बजे** के पश्चात् आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे। कार्यालयीन समय व कार्यालयीन दिवस में ही आवेदन प्राप्त किये जावेंगे। 11. नि:शुल्क आवेदन जिला पंचायत/जनपद पंचायत से कार्यालयीन समय व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। 12. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार्य किये जावेंगे।